

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 23 /2018 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, —

(क) सारणी में -1, —

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, मर्दों (i) और (i क) के स्थान पर, कॉलम (3) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

“(i) आयुक्त, सीमाशुल्क (एयर पोर्ट और सामान्य), दिल्ली;”;

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, मर्दों (iv) और (iv क) के स्थान पर, कॉलम (3) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

“(iv) आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात), मुंबई ज़ोन-I; और”;

(iii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iv क) का लोप कर दिया जाएगा।

(ख) सारणी में -2—

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, मर्दों (i) और (i क) के स्थान पर, कॉलम (3) और 4 में क्रमशः निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

“(i) आयुक्त, सीमाशुल्क (एयर पोर्ट और सामान्य), दिल्ली;”;

(ii) क्रम संख्या 6 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

क्र. सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
		(1)	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)
“(6)	(i) मुम्बई पत्तन ; (ii) इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, मुलुन्द; (iii) महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों के अधिकार में आने वाले क्षेत्र : मुम्बई शहर, मुम्बई उपनगर, पालघर, थाणे और रायगढ़; (iv) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य मुम्बई जोन-I)	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात - I) मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-I) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-II), मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-II) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), मुम्बई, जोन-I.	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों।”;

(iii) क्रम संख्या 12 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
		(1)	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)
“(12)	(i) चेन्नई पत्तन, एन्नोर पत्तन (कामराजार पत्तन), लघु पत्तन कट्टूपल्ली, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वे क्षेत्र जो कि चेन्नई	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), एयरपोर्ट, चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;

<p>निगम के अंतर्गत आते हैं और तिरुवेल्लूर जिले का अम्बाल्लूर, गुम्मीडिपून्डी, पूनामल्ली और पोन्नेरी ताल्लुक, ताम्बरम ताल्लुक और इन्लैण्ड कंटेनर डिपो जो कि कांचीपुरम जिले के श्रीपेरुम्बदूर ताल्लुक में स्थित है;</p> <p>(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।</p> <p>(iii) चेन्नई विशेष आर्थिक जोन</p>	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (II), चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (II), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>आयुक्त, सीमा शुल्क, (VIII) (सामान्य), चेन्नई</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VIII), (सामान्य) चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों।”;</p>

(iv) क्रम संख्या (17) के समक्ष, कॉलम (2) में मद (iv क) का लोप कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या (22) के समक्ष, कॉलम (2) में मद (i) में, “और जूनागढ़” शब्दों के स्थान पर “,बोटाड और जूनागढ़” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से लागू होगी।

[फा .सं. 450/100/2017- सीमा शुल्क IV]

जुबैर रिआज़

(जुबैर रियाज)
निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 03/2018-सीमा शुल्क, (गै.टे.), दिनांक 10 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 20 (अ), दिनांक 10 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।